क्रम-संख्या 56

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1969

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 9, 1969)

मूल रूप से अंग्रेजी में पारित कतिपय विधियों का प्रमाणिक हिन्दी पाठ प्रकाशित करने की व्यवस्था करने के लिये, और उत्तरप्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 ई0 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता, है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम 1969 कहलायेगा ।

अधिनियमों/नियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

2—राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन निम्नलिखित, अर्थात्:—

(क) मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में पारित उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम, का या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यूनाइटेड प्राविंसेज या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अंग्रेजी भाषा में जारी किये गये किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का,

गजट में हिन्दी भाषा में प्रकाशित अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्रमाणिक पाठ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951

धारा 2 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 ई0 की धारा 2 में शब्द "इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर निकाल दिये जायें और अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी राजकीय प्रयोजनों के लिये भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।"

निरसन तथा अपवाद

राष्ट्रपति अधिनियम सं0 10, 1968 उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 11, 1968

4—(1) उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1968 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अथवा उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश, 1968 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम 25 जनवरी, 1968 को प्रारम्भ हुआ हो ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 23 जुलाई, 1969 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 अगस्त, 1969 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 अगस्त, 1969 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।)

(भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 11 सितम्बर, 1969 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 सितम्बर, 1969 को प्रकाशित हुआ ।)